122

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष.

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1393-एक/2016 - विरूद्धं आदेश दिनांक 27-4-2016- पारित द्वारा - नायव तहसीलदार वृत्त राजपुर तहसील अशोकनगर - प्रकरण कमांक 8 अ-6-अ/2015-16

1- श्रीमती पप्पीवाई पत्नि स्व.बहादुर सिंह
पुत्री भगवान सिंह यादव ग्राम नानाखेड़ी
तहसील व जिला गुना
2- अंकिता अवयस्क पुत्री स्व.बहादुर सिंह संरक्षक
माता पप्पीवाई पत्नि स्व. बहादुर सिंह
3- अंकेश पुत्र स्वर्गीय बहादुर सिंह
4- फूलवाई पत्नि भगवान सिंह यादव
सभी ग्राम बयानी तहसील अशोकनगर —— आवेदकगण

विरूद्ध

1- म0प्र0शासन
2- लक्ष्मणसिंह पुत्र हरनारायण यादव
3- टीकाराम पुत्र भगत सिंह
4- जयपाल पुत्र पहलवान सिंह यादव
सभी ग्राम बयानी तहसील अशोकनगर ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)
(अनावेदक क-1 के पैनल लायर श्री पालीवाल)

आ दे श

(आज दिनांक 19-01-2018 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त राजपुर तहसील अशोकनगर के प्रकरण कमांक 8 अ-6-अ/20157816 में पारित आदेश दिनांक 27-4-16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण कमांक 2 से 4 ने शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम बयानी की भूमि सर्वे कमांक 5/3 रकबा 0.696 हैक्टर, सर्वे कमांक 126/2 रकबा 1.134 हैक्टर, सर्वे कमांक 124/3 रकबा 0.434 हैक्टर, सर्वे कमांक 127/3/1 रकबा 0.752 हैक्टर, सर्वे कमांक 136/2 रकबा 0.800 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर आवेदकगण के नाम की फर्जी खसरा प्रविष्टि है जांच की जाय। नायव तहसीलदार वृत्त राजपुर तहसील अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 8 अ 6 अ/2015-16 पॅजीबद्व किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनॉक 13-4-2016 पारित किया तथा निर्णीत किया कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है एंव पिता के नाम से फोती नामान्तरण पर प्राप्त है जिसके आधार पर शिकायती प्रकरण कमांक 8 अ 6 अ/2015-16 निरस्त कर दिया। नायव तहसीलदार वृत्त राजपुर तहसील अशोकनगर ने आदेश दिनॉक 13-4-2016 पारित करने के वाद पुनः अंतरिम आदेश दिनांक 27-4-16 पारित किया तथा आदेश दिनॉक 13-4-2016 को री-ओपिन करके प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये नियत कर दिया। नायव तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश दिनांक 27-4-16 के विरुद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार ने स्वयं के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-4-16 को एंव नामान्तरण आदेश दिनांक 18-6-2008 को स्वस्तर से निर्णय लेकर पुर्नविचार में लिया है तब क्या नायव तहसीलदार वृत्त राजपुर नामान्तरण आदेश दिनांक 18-6-2008 को एंव स्वयं के पारित आदेश दिनांक 27-4-16 को री-ओपिन करके सुनवाई करने की अधिकारिता रखते हैं? म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में बताया गया है कि पुर्नविलोकन आवेदन कौन कर सकता है? उपधारा (1) के अनुसार पुर्नविलोकन आवेदन मूल आदेश में हितबद्व पक्षकार प्रस्तुत कर सकता है। हितबद्व पक्षकार अभिव्यक्ति से प्रयोजन मूल प्रकरण के उस पक्षकार से है जो उस आदेश से व्यथित हो। विचाराधीन प्रकरण में नामांत्रण आदेश दि0

दिनांक 18-6-2008 में शिकायतकर्ता अर्थात अनावेदक कमांक 2 से 4 हितबद्ध नहीं हैं वादग्रस्त भूमि में उनका स्वत्व अथवा स्वामित्व भी निहित नहीं है तब ऐसा पक्षकार पीड़ित पक्षकार नहीं है अपितु राजस्व अधिकारियों को सूचनादाता के रूप में है क्योंकि मूल मामला आवेदकगण एंव राजस्व भूमि से सम्बन्धित होना परिलक्षित है, जिसके कारण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा बिना सक्षम अनुमति लिये स्वयं द्वारा पारित आदेश दिनांक आदेश दिनांक 27-4-16 को अंतरिम आदेश दिनांक 27-4-16 से री-ओपिन कर स्वस्तर से पुनरावलोकन करना नियम विरुद्ध कार्यवाही है जिसके कारण नायब तहसीलदार वृत्त राजपुर तहसील अशोकनगर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27-4-16 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायब तहसीलदार वृत्त राजपुर ने आदेश दिनांक 13-4-2016 में यह माना है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है एंव पिता के नाम से फोती नामान्तरण पर प्राप्त है और जब वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के पिता स्वर्गीय बहादुर सिंह के नाम पर थी है उसके वाद फोती नामान्तरण से आवेदकगण के नाम 16-6-2008 को नामांत्रित हुई, तब यह जांच का विषय नहीं रहता है कि बहादुर सिंह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर वादग्रस्त भूमि कहां से आई है क्योंकि यह नामान्तरण भी पूर्ण जांच उपरांत किया गया है तथा आवेदकगण के नाम हुआ नामान्तरण आदेश दिनांक 18-6-2008 अपील योग्य आदेश है जिसे शिकायती आवेदन के आधार पर री-ओपिन नहीं किया जा सकता।

1. रामबाबू तामकार बनाम म0प्र0राज्य 2013 रा0नि0 146 में बताया गया है कि म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अधीन सुरक्षित की गई अंतर्निहित शक्ति संहिता के उपबंधों के पूरक के रूप में है , परन्तु जहां किसी विषय पर संहिता में स्पष्ट उपबंध हो, तब उस विषय पर उन उपबंधों का पालन करना अनिवार्य है, उसके विषय में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना न्याय के उद्देश्य के लिये न होकर उसको ध्वस्त करने का प्रभाव रखेगा।

2. भागीरथ बनाम हरनाथ सिंह 1984 रा0नि0 373 का दृष्टांत है कि जब किसी न्यायालय की भूल के कारण किसी पक्षकार को हानि पहुंची हो तब उस हानि का परिमार्जन करने के लिये न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिये।

नायब तहसीलदार वृत्त राजपुर ने संहिता की धारा 32 की शक्तियों के अधीन नामान्तरण आदेश दिनांक 18-6-2008(जो अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम हो चुका है), एंव स्वयं द्वारा प्रकरण कमांक 8 अ 6 अ/2015-16 में पारित आदेश दिनॉक 13-4-2016 को री-ओपिन कर जांच में लेने की नियम विरूद्व कार्यवाही की है जिसके अधार पर नायब तहसीलदार वृत्त राजपुर तहसील अशोकनगर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27-4-16 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार वृत्त राजपुर तहसील अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 8 अ-6-अ/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-4-16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव आवेदकगण के हित में हुआ फोती नामान्तरण आदेश दिनांक 18-6-2008 एंव नायब तहसीलदार वृत्त राजपुर तहसील अशोकनगर प्रकरण कमांक 8 अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-4-16 उचित होने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर